न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमांक /निगरानी माल

R-1155-III/13

रामेश्वर पुत्र श्री कोमलप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी– ग्राम मोहरी राय तहसील व जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश ....अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा तेहसीलदार अशोकनगर ....प्रतिअपीलार्थी

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 भू राजस्व संहिता विरूद्व आदेश दिनांक 11.1.2013 पारित द्वारा विद्वान अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 175/अपील /2012–13 जोकि अनुविभागीय अधिकारी महोदय अशोक नगर मध्य प्रदेश के समक्ष विचाराधीन प्रकरण कमांक 54/अपील/11–12 में दिनांक 27.09.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से अपील निम्नप्रकार से प्रस्तुत है :–

1 यहकि निगरानीकर्ता प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 26.08.2004 को माननीय तहसीलदार महोदय अशोक नगर के समक्ष ग्राम मोहरीकंला स्थित सर्वे कमांक 382, 221, 330, 296, 490, 752, 338, 297, पर अपना भूमि स्वामित्व घोषित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

2. यहकि जिस पर से न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये इश्तहार जारी किये गये विहित समय विधि में कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नही हुई और प्रकरण को बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया।

1. यहकि उक्त आदेश के विरुद्ध एस.डी.ओ महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2012 को एस. डी. ओ महोदय अशोक नगर के द्वारा पारित किया गया " जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्ति हेतुं आवेदन अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2012 को प्रस्तुंत किया गया है एवं प्रतिलिपी दिनांक 19.11.2012 को अपीलार्थी को प्राप्त हुई थी ।

2. यहकि अपीलाधीन आदेश सर्वथा विधि व विहित के विपरीत होने से निरस्ती योग्य था परन्तु अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करतें समय प्रकरण में आई सम्पूर्ण दस्तावेजों व मोखिक साक्ष्य का विधि के सुंस्थापित सिद्धातों

अशोकनगर

R - 1155 | III | 2013

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
16-2-16.	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक १७५/२०१२-१३ अपील में पारित आदेश दिनांक ११-१-२०१३ के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के प्र०क्र० ५४/११-१२ अपील में राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-३ की कंडिका ३० के अंतर्गत पारित आदेश २७-९-१२ के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त किया है कि उन्हें राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत व्दित्तीय अपील सुनने के अधिकार नहीं है। २/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-३ की कंडिका ३० के अवलोकन पर पाया गया कि इस कंडिका में व्दित्तीय अपील का प्रावधान नहीं है अपितु प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान है एंव नवीन संशोधन नवम्बर २०११ के अनुसार निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता भी आयुक्त/अपर आयुक्त को नहीं है, जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश दिनांक ११-१-१३ नियमनुकूल होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतएव वास्तविक तथ्यों के विपरीत पाये जाने से निगरानी निरस्त की जाती है। सदस्य	

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.